ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 3.4
IJAR 2015; 1(2): 289-291
www.allresearchjournal.com
Received: 25-11-2014
Accepted: 30-12-2014

डॉ. सीमा गुप्ता
एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान
विभाग गोकुलदास हिंदू गर्ल्स
कॉलेज मुरादाबाद,
उत्तर प्रदेश भारत

Corresponding Author:
डॉ. सीमा गुप्ता
एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान
विभाग गोकुलदास हिंदू गर्ल्स
कॉलेज मुरादाबाद,
उत्तर प्रदेश भारत

स्त्री सुरक्षा में स्वयं स्त्रियों के दायित्व: एक चिंतन

डॉ. सीमा गुप्ता

सारांश
प्रस्तुत पत्र में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित उनके दायित्व पर विचार किया गया है इसमें यह चिंतन किया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा में समाज और सरकार से पहले महिलाओं का अपना दायित्व होता है यदि वे अपनी विशेषताओं आत्मविश्वास और अधिकारों को समझ जाती हैं और पहचान लेती हैं तो वह अपनी सुरक्षा अपने आप कर सकते हैं साथ ही उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ होने की भी आवश्यकता है मानसिक और शारीरिक सुदृढ़ता ही उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का निर्माण करेंगे और चिंतन की दिशा प्रदान करेंगे।

कूटशब्द: सुरक्षा, उत्तरदायित्व, कार्य परिस्थितियां, मानसिक और शारीरिक सुदृढ़ता

प्रस्तावना

सुरक्षा का अर्थ है "बिना चोट के स्वस्थ जीवन"। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने कार्य परिस्थितियों में सुधार व परिवर्तन भी सुरक्षा है इसी प्रकार दुर्घटनाओं, खतरो, शारीरिक क्षति या हानि आदि को रोकना या उनसे बचाव करना भी सुरक्षा ही है । सुरक्षा व्यक्ति, स्थान, वस्तु, निर्माण, निवास, देश, संगठन अथवा किसी से भी संबंधित हो सकती है । वर्तमान में स्वयं को सुरक्षित रखना प्रत्येक व्यक्ति व वर्ग के लिए चुनौती है विशेषकर महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहती हैं । यदि हमारे साथ कोई भी ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसका संबंध हमारी सुरक्षा से होता है तो इसके लिए हम कभी समाज को तो कभी सरकार को जिम्मेदार मानने लगते हैं और यही सिलसिला निरंतर चलता रहता है तो प्रश्न यह उठता है कि हमारी स्वयं की सुरक्षा का दायित्व किसका है समाज का, सरकार का, या स्वयं हमारा । इस विषय पर विचार व चिंतन करने की आवश्यकता है ।

विचारणीय पक्ष

वर्तमान समय में महिलाओं की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है । लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक इसके लिए बहस होती रहती हैं । भारतीय संस्कृति में देवी का दर्जा देने के बावजूद महिलाएं बलात्कार, ऑनर किलिंग, बाल शोषण, एसिड अटैक, कन्या भ्रूण हत्या, ट्रैफिकिंग (महिला तस्करी) और बाल विवाह जैसे अपराधों से पीड़ित है । जबकि भारत के संविधान में महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार दिए गए हैं साथ ही उन्हें सम्मान भी मिल रहा है किंतु फिर भी यह दावा नहीं किया जा सकता कि सभी अधिकार प्राप्त व सम्मानित महिलाएं सुरक्षित जीवन ही जी रही हैं ।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान पुरुष प्रधान देश की स्त्री अब पहले से अधिक मानसिक व शारीरिक रूप से सशक्त हो रही है । वह अपनी भूमिकाओं के निर्वाह के साथ-साथ पुरुषों को भी प्रत्येक क्षेत्र में चुनौती दे रही है आधुनिक समाज में मध्य वर्ग तथा उच्च वर्गीय महिलाएं पुरुषों की भांति समुद्र की गहराई से लेकर आकाश की ऊंचाई तक पहुंच गई है । किंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी महिलाओं का उत्पीड़न, अपमान, शोषण, दमन, तिरस्कार एवं यंत्रणा अनवरत जारी है जिस पुरुष को नारी जन्म देती है आदिकाल से उसका ही शारीरिक एवं मानसिक दोहन पुरुष के द्वारा होता चला आ रहा है ।

भारत सरकार ने सन 2001 में महिला अधिकारिता वर्ष घोषित किया किंतु महिलाओं के प्रति मानव अधिकारों का उल्लंघन निरंतर हो रहा है यद्यपि अनेक महिला संगठन महिला व आयोग महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने में प्रयासरत है किंतु राष्ट्रीय अभिलेखा ब्यूरो की यह रिपोर्ट की प्रत्येक 6 मिनट में महिलाओं के साथ कोई ना कोई संगीन अपराध घटित होता है यह भारत में स्त्री के असुरक्षित पीड़ित एवं अपमानित जीवन की तस्वीर प्रस्तुत करता है । यू कहने को तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्वतंत्रता है किंतु सच्चाई यह है कि दिलों से स्वतंत्रता नहीं मिली है । इसमें भी कोई शक नहीं है कि महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचारों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं का भी हाथ रहता है । हम अपने देश की सदियों पुरानी सभ्यता पर गर्व करते नहीं थकते किंतु हमारे देश की महिलाओं का संघर्ष और संकटों से भरा जीवन क्या अपनी सभ्यता व संस्कृति पर किए जाने वाले अभिमान पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाता है? क्या नारी के मानव अधिकारों के हनन के कारण हमारी सांस्कृतिक विरासत कलंकित नहीं होती है ?

स्त्रियों की स्वयं सुरक्षा से संबंधित विचार करने योग्य मुख्य बिंदु एवं उपाय

महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध उसे शारीरिक यातना के साथ-साथ मानसिक रूप से अत्यधिक प्रभावित करते हैं । घरेलू हिंसा व लव जिहाद जैसे अपराध महिला सुरक्षा पर आए दिन प्रश्न खड़ा कर देते हैं । अनेक प्रयासों के बावजूद इन अपराधों का अंत होता नहीं दिखाई दे रहा है । किंतु यदि आज की महिलाएं व बच्चियां इन अपराधों के लिए जागरूक रहें व इनसे निपटने के तरीकों व कानूनों के लिए सजग रहें और उन्हें अपनाएं तो बहुत हद तक समस्याओं का सामना व खात्मा किया जा सकता है ।

महिला सुरक्षा से संबंधित दो उपायों पर यहां पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूं –

1. एक तो महिलाओं को स्वयं अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना है ।
2. दूसरा सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के कानूनों की जानकारी रखना व उनका सही प्रकार से उपयोग करना आना चाहिए ।

1. स्त्रियों को स्वयं अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने संबंधित मुख्य बिंदु निम्नांकित हैं

स्त्रियों को "सिक्स सेंस" (six sence) का उपहार प्रकृति प्रदत्त है अतः उस को समझें, पहचाने व उपयोग करें

अपनी सुरक्षा, सम्मान, बेहतर स्थिति व अधिकार के लिए स्वयं में सुधार करें ।

- अपनी मानसिक व शारीरिक शक्ति को कम ना आंके। ऐसा करने से स्त्रियों का मनोबल ऊंचा रहेगा और समस्याओं का समाधान भी मिलेगा ।
- स्त्रियों को अपने "आत्म" (self) को पहचानना आना चाहिए अर्थात अपने अंदर की अच्छाई, बुराई को पहचाने और अवगुणों को स्वीकार करके दूर करने का प्रयास करें ।
- अपनी योग्यताओं और क्षमताओं से पूर्ण रूप से अवगत होकर अपनी अंतः क्षमताओं के अनुरूप स्वयं को विकसित करें ।
- सकारात्मक विचार रखें और नकारात्मक मानसिक कारकों जैसे चिंता, घबराहट, लालच, कृपणता, ईरष्या, विमुखता, संकुचन, उदासीनता, असमंजस, निर्लज्जपन, निष्ठुरता एवं अहंभाव को स्वयं से दूर रखें। क्योंकि यह सभी कारक व्यवहार में विभ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं । और अत्यधिक विभ्रम की स्थिति ही मानसिक व शारीरिक अस्वस्थता का कारण बनती है ।
- महिलाओं का मुख्य कर्तव्य है अपने घर परिवार के लड़कों को लड़कियों व महिलाओं के सम्मान करने के संस्कार दें जिससे वह बड़े होकर भी उन्हें अपने समान समझे ।

  अपनी लड़कियों को शारीरिक व मानसिक रूप से शक्तिशाली एवं समृद्ध बनाएं व उनकी शिक्षा-दीक्षा, कौशल व शारीरिक बल प्राप्त करने संबंधी ज्ञान दे।

2. सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के कानूनों की जानकारी रखना व उनका सही प्रकार से उपयोग करना

वर्तमान समय में स्त्रियों को सुरक्षित रखने हेतु सरकार ने अनेक कानूनों को बनाया है । जिनमें से मुख्य रूप से चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, इंडियन पीनल कोड 1860, मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1861, फॉरेन मैरिज एक्ट 1961, इंडियन डायवोर्स एक्ट 9669, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, मैरिड वूमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874, मुस्लिम वूमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1896, नेशनल कमीशन फॉर वूमेन एक्ट 1990,सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वूमेन एट वर्किंग प्लेस एक्ट 2013 इत्यादि हैं ।

स्त्रियों को सुरक्षा से जुड़े इन कानूनों की जानकारी होनी चाहिए और अन्य को भी इन कानूनों की जानकारी देनी चाहिए। साथ ही सही ढंग से इन कानूनों का उपयोग भी करना आना चाहिए ।

निष्कर्ष

एक कहावत है कि "तुम्हारी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है" अर्थात किसी भी मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी कृत्य तब तक सही है जब तक वह दूसरों की स्वतंत्रता है या सुरक्षा में बाधक ना हो । स्त्रियों के पक्ष में यदि इस कहावत को चरितार्थ करना है तो आवश्यकता है समाज की महिलाओं के प्रति उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को बदलने की तथा उनकी स्वतंत्र अस्मिता और अस्तित्व को स्वीकृत दिलवाने की है ।

स्त्रियों को भी यह संकल्प लेना होगा कि वह अपनी बुद्धि, विवेक, सूझबूझ एवं सतर्कता को मजबूत करके स्वयं को इस पुरुष सत्ता के समक्ष गर्व से चुनौती देते हुए अपने अस्तित्व को स्थापित करें और तभी वास्तव में स्त्रियों की वास्तविक सुरक्षा हो पाएगी ।

Reference

1. www.mha.gov.in
2. www.orfonline.org
3. nhm.gov.in
4. www.researchgate.net
5. www.tvahindi.com
6. hi.vikaspedia.in
7. hindi.webdunia.com
8. www.punjab kesri.in
9. Indian journal of human relations, 2009;35:94-101, 138-141) (PASSH, Jaunpur)
10. Shodh manthan, journal anubooks, 2015; Sep6:2.